प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2025 को आयोजित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत टाईप-II आदेशों (Conditional Order) के अनुपालन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार।
2. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया।
3. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया।
4. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज।
5. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार सदर।
6. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी।
7. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा।
8. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर।
9. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी।

सर्वप्रथम प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की महत्ता को विस्तार से बताते हुए जिलावार प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। प्रमण्डलीय आयुक्त के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित परिवादों के समुचित निस्तार नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। बैठक में कई मामलों से संबंधित संचिकाओं को पढ़कर सुनाया गया। जिसमें कई मामलों में बिना आवश्यक जाँच पड़ताल किये लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आई०टी० सहायकों द्वारा परिवादियों से बातचीत, परिवादियों को लोक प्राधिकार के समक्ष आवेदन दाखिल करने का हिदायत देने के मामले भी प्रकाश में आये हैं। जो कार्यालय के गलत कार्यकलाप का परिचायक है। इन सभी बातों के प्रति सभी पदाधिकारियों को अगाह किया गया। बिन्दुवार समीक्षा के उपरांत निम्नांकित निदेश दिया जाता है :-

1. सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि 30.10.2025 तक Type-II Conditional Order तथा प्रमंडलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन/कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध करावें। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लागू होने से अद्यतन तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

2. Type-II Conditional Order मामलों का समयवद्ध अनुपालन संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदीय जवाबदेही है। सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इनके निदेशानुसार कार्य करेंगे।

3. यह पाया जा रहा है कि प्रमंडलीय आयुक्त -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार के स्तर से पारित आदेशों के वाबजुद जिला स्तर पर अनुपालन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ऐसे मामलों की समीक्षा करते हुए अनुपालन/कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया को अपने कार्यो के प्रति गंभिर रहने का आदेश देते हुए अनन्य संख्या 509310123062507533/1A (आशीष कुमार) तथा अनन्य संख्या 409110123052505297/1A (श्री वाजेश उर्फ ओम कुमार) में पारित आदेशों के शीघ्र अनुपालन का निदेश दिया गया।

4. भूमि विवाद से संबंधित अधिकांश मामलों में जमाबंदी रद्दीकरण का मामला बताते हुए आदेश पारित कर दिया जाता है। जबकि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम/नियमावली के तहत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से परिवाद की पूरी जाँच करने के उपरान्त समयवद्ध निस्तार

किया जाना है। यदि गलत जमाबंदी का मामला है तो अपर समाहर्त्ता के माध्यम से बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सभी पक्षों को तुरंत नोटिस का तामिला कराते हुए सकारण आदेश से जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। सतही तौर पर Type-II Conditional Order पारित किये जाने से ऐसे मामलों के संतोषप्रद एवं विधिसम्मत निष्पादन में लंबी अवधि लग जाती है। जिससे लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून का उद्देश्य असफल हो जाता है। अतः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को गंभीरता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है।

अगली समीक्षा बैठक 01.11.2025 को 11.00 बजे की जायेगी।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक....6223........./लो0शि0नि0, पूर्णिया, दिनांक 22-10-2025

प्रतिलिपि :- अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर, बायसी, धमदाहा, बनमनखी/कटिहार सदर, मनिहारी, बारसोई/अररिया, फारबिसगंज/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

22/10/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।